

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 16(1)साप्र/2/2013पार्ट

जयपुर दिनांक 15-2-2017

:- आदेश :-

राजस्थान के मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 के नियम 5 (1) (ए) के प्रावधानानुसार निम्नांकित को उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास (रिक्त होने के प्रत्याशा में) उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्वारा निःशुल्क आवंटित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम माननीय मंत्री	राजकीय आवास संख्या (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
1	श्रीमती कमसा माननीय राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	18-ए, सिविल लाईन, जयपुर

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

— sd —

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
6. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1)विभाग।
7. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हीराबाग, जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, हीराबाग, जयपुर।
18. अधीक्षक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
20. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
21. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,6) विभाग, जयपुर।
22. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
25. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि.
27. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 16(1)साप्र/2/2013पार्ट

जयपुर दिनांक 15-2-2017

— आदेश —

राजस्थान के मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 के नियम 5 (1) (ए) के प्रावधानानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास (रिक्त होने के प्रत्याशा में) उनके पद पर बने रहने तक के लिए एतद्वारा निःशुल्क आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम माननीय मंत्री	राजकीय आवास संख्या (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
1	श्री धनसिंह रावत माननीय राज्यमंत्री, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, संसदीय मामलात एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।	बी-3, भगतसिंह मार्ग, जयपुर


राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,



(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजभवन, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, जयपुर।
6. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1)विभाग।
7. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
8. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
9. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, संसदीय मामलात एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
12. शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
14. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हीराबाग, जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, हीराबाग, जयपुर।
18. अधीक्षक/उद्घान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
19. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
20. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
21. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1,3,6) विभाग, जयपुर।
22. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
23. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, चौकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
25. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि.
27. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 21(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : 15/2/2017

-: आदेश :-

श्री देशराज महेन्द्रता,वाहन चालक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर जिनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 33/2010 व सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2029 है, के आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम,1958 के नियम-27 के प्रावधान के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर नियमानुसार किराये भुगतान की शर्त पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास संख्या जी-838 गांधीनगर, जयपुर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी- चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृ

(इन्द्र सिंह राव)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 39/एम/जीएडी/17 दिनांक 14.2.2017 के क्रम में।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से उनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर जयपुर।
6. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्यालय जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
10. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
11. श्री देशराज महेन्द्रता,वाहन चालक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित राजकीय आवास संख्या 4/132, गांधीनगर, जयपुर को रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव